

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.रा.न्या.से.) अवकाश / 3035 / 2024

दिनांक 11.09.2024


श्रीमती अंजली सिंह (RJ01191), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक) को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:—

1. दिनांक 05.07.2024 का एक दिवस का उपाजित अवकाश।
2. दिनांक 06.07.2024 से 12.07.2024 तक 07 दिनों का परावर्तित अवकाश
दिनांक 13.07.2024 से 14.07.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित।

श्रीमती सिंह की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


10.9.24

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/56/2017/7172

दिनांक :11.09.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 11052 दिनांक 03.08.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती अंजली सिंह (RJ01191), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक)।
4. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक)।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक)।


10/9/24

सहायक रजिस्ट्रार